[redacted]

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला बीकानेर – **थाना प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र.नि.ब्यूरो जयपुर**............वर्ष ....**2023**...............
2. प्र.इ.रि.सं.......................154 **/2023**............ दिनांक ....15/6/2023..................
   (I) * अधिनियम –**भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधन 2018)**. धारा **7, 7ए,12.**
   (II) * अधिनियम ....**भादस**......................................धारा – ......120बी.........................
   (III) * अधिनियम...............................–.............................. धाराएं....................–........................
   (IV) * अन्य अधिनियम एवं धाराएं ....–..
3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या ....295........समय 7:00 PM
   (ब) अपराध घटने का दिन व समय– बुधवार **दिनांक 13.06.2023 वक्त 07.24 पीएम**
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक – 05.06.2023 वक्त ....
4. सूचना की किस्म :– लिखित / मौखिक – **लिखित**
5. घटनास्थल :–
   (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी – उत्तर, लगभग 80 किलोमीटर
   (ब) पता – **लूणकरणसर जिला बीकानेर**
   बीटसंख्या.......–.............जुरायमदेही सं...........................
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो पुलिस थाना ......–.................................
6. परिवादी /सूचनाकर्ता :–
   (अ) नाम – **श्री शिवनाथ**
   (ब) पिता/पति का नाम – श्री कुणणनाथ
   (स) जन्म तिथि/आयु – **42 वर्ष**
   (द) राष्ट्रीयता – **भारतीय**
   (य) पासपोर्ट संख्या.................. जारी होने की तिथि...... जारी होने की जगह ....
   (र) पेशा – खेतीवाडी
   (ल) पता – **वार्ड नम्बर 11, जोगिया बस्ती लुणकरणसर, जिला बीकानेर**
7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित :–
   1. श्री लालूराम उर्फ लालजी पुत्र श्री रेवन्तराम गोदारा जाति जाट उम्र 38 साल निवासी डान्डूसर पुलिस थाना जामसर जिला बीकानेर हाल पटवारी पटवार हल्का बींजरवाली तहसील लूणकरणसर हाल अति.चार्ज भू अभिलेख निरीक्षक वृत लूणकरणसर जिला बीकानेर
   2. श्री मनफूल राम पुत्र श्री आईदान राम उम्र 39 वर्ष पैशा नौकरी निवासी छटासर तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर हाल पटवारी उच्छरंगदेसर तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर
8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :– **कोई विलम्ब नहीं।**
9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये)......
10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य ....–...
11. पंचनामा यू. डी. केस संख्या (अगर हो तो) ....–..
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये) :–

महोदय,

निवेदन है कि दिनांक 05.06.2023 को परिवादी श्री शिवनाथ निवासी लुणकरणसर ने जरिये दूरभाष कार्यालय हाजा पर अति0पुलिस अधीक्षक को बताया कि मेरे खेत की पैमाईस करने हेतु मै श्री लालचंद गिरदावर से करीब 10 दिन पहले मिला तो मेरे से खर्चा पानी के दस बारह हजार रूपये मांगे। अति.पुलिस अधीक्षक ने श्री शिवनाथ को कार्यालय हाजा पर उपस्थित होने बाबत कहा तो श्री शिवनाथ ने कहा मै बीकानेर नहीं आ सकता आपही लुणकरणसर आ जाओं। जिस पर वक्त 11.30 एएम पर श्री महावीर प्रसाद शर्मा अति.पुलिस अधीक्षक, ब्यूरो स्टाफ मय डिजिटल वाईस रिकार्ड व मैमोरी कार्ड व कार्यालय का लैपटॉप व प्रिन्टर के जरिये निजी वाहन से कार्यालय हाजा से रवाना होकर कस्बा लुणकरणसर से थोडा पहले पहुच परिवादी श्री शिवनाथ से जरिये दुरभाष वार्ता की तो परिवादी ने बताया कि मै

[redacted]

अमन होटल से थोडा आगे बीकानेर की तरफ खडा हूं। जिस पर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय ब्यूरो स्टाफ के परिवादी के बताये हुए स्थान पर पहुचा। जहां एक व्यक्ति मय मोटरसाईकिल के खडा मिला। जिसे पूछने पर उसने अपना परिचय शिवनाथ पुत्र श्री कुनणनाथ जाति नाथ उम्र 42 वर्ष पेशा खेतीबाडी निवासी वार्ड नं 11, जोगिया बस्ती, लुणकरणसर जिला बीकानेर होना बताया। श्री शिवनाथ को अति.पुलिस अधीक्षक ने अपना व हमराहियान का परिचय दिया फिर परिवादी श्री शिवनाथ को साथ लेकर लुणकरणसर रोड से एक तरफ साईड में सुरक्षित स्थान पर पहुचे। परिवादी ने एक हस्त लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि " सेवामें श्रीमान अति.पूलिस अधीकक्ष, भष्टाचार निरोधक ब्यूरो स्पेशल यूनिट बीकानेर, विषयः रिश्वत लेते हुऐ गिरदावर को पकडवाने बाबत। महोदय निवेदन है कि मै शिवनाथ पूत्र कुनणनाथ जोगिया बस्ती वार्ड नम्बर 11 का निवासी हूं ग्राम उच्छरंगदेसर में खसरा नम्बर 240 में है मेरी और मेरी पत्नी के नाम से कूल 22 बीघा जमीन है, उक्त कृषि भूमी कि पैमाईस हेतु दिनांक 25.04.2023 को 11.07.55 पर करवाया हुआ है जिसमें तहसीलदार जी का आदेस भी करवा रखा है। पटवारी हल्का रोही उच्छरंगदेसर के नाम से है। जिसमें अधीकतर पेमाईस का काम लालचन्द (उर्फ) लालजी करते है। हमारे हल्के का पटवारी श्री मनफूल राम है जो ईमानदार व्यक्ति है मगर श्री लालचन्द गिरदावर ने सिमागान करने के लिऐ करिब 10 दिन पहले मेरे से खर्चा पानी के 10,12 हजार रूपये कि मांग कि मे रिश्वत नहीं देना चाहता हूं हल्का पटवारी श्री मनफूलराम से मेरे अच्छे सम्बन्ध है मै पटवारी श्री मनफूल राम को साथ लेकर गिरदावर श्री लालचन्द से रिश्वत मांग के सम्बन्ध बात कर सकता हूं। श्री लालचन्द को मै रंगे हाथो पकडवा चाहता हूं मेरा श्री लालचन्द से पहले से कोई उधरी या लेनदेन नहीं है नाहि कोई निजी दुश्मनी व रंजीश है कृप्या कानूनी कार्यवाही करने कि कार्यवाही करे। दिनांक 05.06.2023 एसडी–शिवनाथ पुत्र कुनणनाथ जाति नाथ वार्ड नम्बर 11 लुनकरणसर 9460100622" ।परिवादी ने श्रीमान अति0पुलिस अधीक्षक को बताया कि पटवारी श्री मनफुल राम मेरा परिचित आदमी है तथा ईमानदार व्यक्ति है। मैं श्री मनफुल राम पटवारी को साथ लेकर श्री लालचन्द गिरदावर से मेर काम के संबंध में बातचीत करूंगा तो लालचन्द मेरे रिश्वत की मांग करेगा। मेरी लालचन्द से कोई रंजिश नहीं है, न ही कोई मेरा उधारी का लेनदेन बकाया है। परिवादी के प्रार्थना पत्र व दरियाफ्त मजिद से मामला पीसी एक्ट की परिधि में आने पर परिवादी को रिश्वत मांग सत्यापन की विधि बतायी तो परिवादी ने बताया कि मै अभी श्री लालचन्द गिरदावर से उसके कार्यालय में बातचीत कर रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवा दुंगा। परिवादी ने यह भी बताया कि मै अभी लालचन्द से बातचीत करने जाउंगा तो लालचन्द मेरे से कुछ पैसे वार्ता के दौरान लेगा। मेरे पास पैसे अभी है नही मैं अभी कुछ पैसों की व्यवस्था कर वापिस आपके पास आ जाउंगा। जिस पर परिवादी को हिदायत मुनासिब कर उसकी मोटर साईकिल से रवाना किया गया।

वक्त 01.45 पीएम पर परिवादी श्री शिवनाथ मय मोटर साईकिल के उपस्थित आया व बताया कि मैं तीन हजार रूपये की व्यवस्था कर लाया हुं। यदि श्री लालचंद रिश्वत की मांग करता है तो विश्वास जमाने के लिए मै कुछ पैसे अभी रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान दे दुंगा। परिवादी व श्री जमील अहमद कानि का आपसी परिचय करवाया गया तथा परिवादी को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर के संचालन की विधि से समझाईस की गई तथा डिजिटल वाईस रिकार्डर में नया मैमोरी कार्ड स्थापित कर डिजिटल वाईस रिकार्डर श्री जमील अहमद कानि से चालु करवाकर परिवादी श्री शिवनाथ को सुपुर्द कर परिवादी को रिश्वत मांग सत्यापन हेतु तहसील कार्यालय लुणकरणसर की तरफ मय मोटरसाइकिल के रवाना किया गया। अति. पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान के परिवादी पर नजर रखने हेतु पीछे पीछे रवाना होकर गोपनीय स्थान पर मुकीम हुआ।

वक्त 02.23 पीएम पर परिवादी श्री शिवनाथ मय मोटरसाइकिल के अति.पुलिस अधीक्षक के पास उपस्थित आया। जिस पर परिवादी से डिजिटल वाईस रिकार्डर लेकर बंद कर अपने पास रखा। परिवादी ने अति.पुलिस अधीक्षक को बताया कि मैं तहसील कार्यालय के पास ही स्थित पटवार घर में गया तो वहां पर श्री लालचंद गिरदावर जी बैठे थे मैने उनसे बात की तो उन्होने कहा की मनफुल पटवारी को लेकर आओं तब वही पास ही चाय की दुकान पर मनफूल राम पटवारीजी बैठे थे उनको मैं लेकर श्री लालचन्द जी गिरदावर के पास गया। मेरी, गिरदावर व पटवारी की आपस में वार्ता हुई वार्ता के दौरान श्री लालचन्द गिरदावर ने मेरे खेत व सरकारी भूमि की पैमाईस शुक्रवार को करने का कहते हुए सरकारी भूमि (जोहडी) की पैमाईस के पांच हजार व मेरी खेत की भूमि की पैमाईस के लिए 6 हजार रूपये मांगे है यदि एक दिन में पैमाईस नहीं होती है तो मेरे खेत की पैमाईस के 8000 रू मांगे है। जोहडी की

पैमाईस के पांच हजार रूपये में से 3000 रू मैने श्री लालचन्द को दे दिये। मैने वार्ता को ब्यूरो के डिजिटल वाईस रिकॉडर में रिकॉर्ड किया है। जिस पर अति.पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी व श्री जमील अहमद कानि के रूबरू डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को चला कर सुना गया तो परिवादी के कथनों की ताईद हुई। अति.पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी को ट्रासंक्रिप्ट तैयार करने हेतु साथ चलने हेतु कहा तो परिवादी ने कहा आज तो मेरे जरूरी कार्य है मै कल या परसों आपके कार्यालय में उपस्थित हो जाउंगा। जिस पर परिवादी को आवश्यक हिदायत कर रूखस्त किया। वक्त 02.45 पीएम पर श्रीमान अति.पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान के डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय लैपटॉप व प्रिन्टर के जरिये निजी कार से बीकानेर के लिए रवाना होकर कार्यालय हाजा पर पहुचे। डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को श्रीमान अति0पुलिस अधीक्षक ने अपने पास सुरक्षित रखा।

दिनांक 08.06.2023 वक्त 10.30 एएम पर परिवादी श्री शिवनाथ कार्यालय पर उपस्थित आया। श्रीमान अति.पुलिस अधीक्षक को दीगर राजकार्य से जयपुर जाना है इसलिए प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही हेतु मन पुलिस निरीक्षक को अपने कक्ष में बुलाकर परिवादी श्री शिवनाथ का आपसी परिचय करवाकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना मय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर सुपुर्द किया गया व अब तक की कार्यवाही के तथ्य बताये तथा अग्रिम कार्यवाही हेतु निर्देश दिये।

वक्त 11.10 एएम पर मन पुलिस निरीक्षक हमराह परिवादी श्री शिवनाथ व परिवादी का प्रार्थना पत्र मय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर लेकर अपने पक्ष में आया। परिवादी ने पूछने पर बताया कि उक्त प्रार्थना पत्र मेरे हस्तलेख में है तथा परिवाद में अंकित तथ्य सही है। दिनांक 05.06.2023 को मैने आपके कार्यालय में फोन कर श्रीमान अति.पुलिस अधीक्षक को श्री लालचन्द गिरदावर को पकडवाने बाबत कहा था जिस पर वो मेरे पास लुणकरणसर में स्टाफ सहित उपस्थित आये थे। जिनको मैने श्री लालचन्द गिरदावर के विरूद्ध शिकायत का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तथा रिश्वत राशि मांग का मेरे द्वारा गोपनीय सत्यापन करवाया गया था। श्री लालचन्द गिरदावर ने सरकारी भूमि (जोहडी) की पैमाईस के पांच हजार व मेरी खेत की भूमि की पैमाईस के लिए 6 हजार रूपये मांगे है यदि एक दिन में पैमाईस नहीं होती है तो मेरे खेत की पैमाईस के 8000 रू मांगे है तथा श्री लालचन्द गिरदावर ने 3000 रू मेरे से मौके पर ही ले लिये थे। परिवादी शिवनाथ द्वारा ई चालान संख्या 0074905129 व 0074905547 दिनांक 05.04.2023 मय आवेदन पत्र की छाया प्रतियां पेश की। जिन पर परिवादी के हस्ताक्षर करवाकर शामिल कागजात की गई।

वक्त 11.15 एएम पर मन पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री शिवनाथ व श्री जमील अहमद कानि 147 के समक्ष डिजिटल वाईस रिकार्डर को कार्यालय कम्प्यूटर से कनेक्ट कर सुन सुन कर परिवादी श्री शिवनाथ, श्री मनफुल राम पटवारी व आरोपी श्री लालचन्द गिरदावर के मध्य दिनांक 05.06.2023 को हुई रूबरू वार्ता की फर्द ट्रासक्रिप्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता तैयार की गई। वार्ता में आवाज की पहचान कर एक आवाज परिवादी ने अपनी स्वयं की, एक आवाज पटवारी मनफुल व एक आवाज आरोपी लालचन्द गिरदावर की होना बताया। तत्पश्चात उपरोक्त रिकॉर्ड वार्ताएं कार्यालय के डिजिटल वाईस रिकार्डर मे स्थापित मैमोरी कार्ड में सेव है, से दो पेन ड्राईव कार्यालय कम्प्यूटर के जरिये तैयार किये गये। दोनों पेन ड्राईव मे से एक पेन ड्राईव को एक सफेद कपड़े की थैली में डालकर सीलमोहर कर थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। एक पेन ड्राईव को अन्वेषण प्रयोजनार्थ खुला रखा गया। डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में स्थापित मैमोरी कार्ड को डिजिटल वाईस रिकार्डर में ही अग्रिम कार्यवाही हेतु रहने दिया जाकर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मन पुलिस निरीक्षक ने अपने पास सुरक्षित रखा। उक्त कार्यवाही 03.00 पीएम तक सम्पन की गई। बाद हिदायत परिवादी को रूखस्त किया।

दिनांक 09.06.2023 वक्त 12.30 पीएम पर परिवादी श्री शिवनाथ ने जरिये दूरभाष बताया कि आज सरकारी भूमि (जोहडी) की पैमाईस श्री लालचंद गिरदावर जी ने कर दी है तथा मेरे खेत की पैमाईश बाद में करने का ·कर वह कैम्प मे चले गये। बातो से ऐसा लग रहा था कि गिरदावर जी पैसे दिये बिना मेरे खेत की पैमाईस नहीं करेगे। जिस पर परिवादी को आवश्यक हिदायत की गई की दिनांक 12.06.2023 वक्त 10.00 एएम पर ब्यूरो कार्यालय में रिश्वती राशि सहित उपस्थित आवे।

वक्त 12.10 पी.एम. पर ट्रेप कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाह की दिनांक 12.06.2023 को आवश्यक होने के कारण श्री कृष्ण मोहन कानि को अधीक्षण अभियंता,जन जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग बीकानेर के नाम की तहरीर देकर दो गवाह लाने हेतु रवाना किया गया।

कुछ समय बाद श्री कृष्ण मोहन कानि मय दो व्यक्ति उपस्थित आये। श्री कृष्ण मोहन कानि ने बताया कि यह श्री मुकेश भोजक व श्री सुभाष कुमार कनिष्ठ सहायक कार्यालय अधीक्षण अभियंता,जन जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग बीकानेर है। उक्त दोनो का परिचय पूछने पर अपना नाम पता श्री मुकेश भोजक पुत्र स्व.श्री मोहनलाल भोजक जाति भोजक उम्र 39 साल पेशा नौकरी निवासी मकान नम्बर 89, जय गणेश बिहार, मुरलीधर व्यास कॉलोनी के पास, बीकानेर हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय अधिशाषी अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, उत्पादन वितरण एवं राजस्व खण्ड द्वितीय बीकानेर मो.नं. 9672161760 व श्री सुभाष कुमार पुत्र स्व. सुरेश कुमार जाति नाथ उम्र 34 साल पेशा नौकरी निवासी वार्ड नम्बर 21, गुरूद्वारे के पास पीलीबंगा जिला हनुमानगढ हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय अधिशाषी अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, उत्पादन वितरण एवं राजस्व खण्ड द्वितीय बीकानेर मो.नं. 9828136108 होना बताया। परिचय उपरांत बुलाने के मंतव्य से अवगत करवाते हुए दिनांक 12.06.2023 वक्त 10.00 ए.एम. पर ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आने हेतु आवश्यक हिदायत कर रूखस्त किये।

दिनांक 12.06.2023 वक्त 10.00 एएम पर पाबंद शुदा श्री मुकेश भोजक व श्री सुभाष कुमार उपस्थित आये। कुछ समय बाद परिवादी श्री शिवदान ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आया व बताया कि श्री लालचन्द गिरदावर की रिश्वती मांग के अनुसार हमारी भूमि पैमाईस हेतु दस हजार रूपये दिये जाने शेष है मगर मेरे पास आज रिश्वती में दी जाने वाली राशि मे से 3000 रू की ही व्यवस्था हुई जो मै साथ लाया हू तथा परिवादी ने यह बताया कि श्री लालचंद गिरदावर जी आज अभी कार्यालय में ही है। जिस पर दोनो गवाहान श्री मुकेश भोजक व श्री सुभाष कुमार को गोपनीय कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह रहने बाबत बताया गया तो दोनो ने अपनी सहमती दी। उक्त दोनो स्वतंत्र गवाह का परिवादी श्री शिवनाथ से आपसी परिचय करवाया गया। परिवादी के प्रार्थना पत्र व रिश्वत मांग सत्यापन कार्यवाही बाबत दोनो गवाहान को बताया गया।

वक्त 12.25 पीएम पर परिवादी परिवादी श्री शिवनाथ पुत्र श्री कुनणनाथ जाति नाथ उम्र 42 वर्ष पेशा खेतीबाडी निवासी वार्ड नं 11, जोगिया बस्ती, लुणकरणसर जिला बीकानेर ने मन पुलिस निरीक्षक के निर्देश पर रूबरू उपरोक्त गवाहान के कार्यवाही हेतु 500—500 रूपये के 6 नोट कुल तीन हजार रूपये भारतीय मुद्रा के पेश किये, जिनका विवरण निम्न प्रकार है :—

क्र. सं.	नोट का विवरण	नम्बर नोट
1.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	8 RP 504985
2.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	2 FQ 869832
3.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	2 HM 314400
4.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	7 PC 636466
5.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	9 DD 160235
6.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	8 AL 206106

कार्यालय के मालखाना से श्री बृजमोहन सिंह हैड कानि 23 से फिनोल्फ्थलीन पाउड़र की शीशी मंगवाकर एक अखबार के कागज पर उक्त सभी नोटों को रखवाकर श्री बृजमोहन सिंह हैड कानि से नोटो पर फिनोल्फ्थलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी श्री शिवनाथ की जामा तलाशी गवाह श्री मुकेश भोजक से लिवाई गई तो कोई आपत्तिजनक सामान नहीं पाया गया। उक्त पाउड़र लगे नोट परिवादी के पहने हुए शर्ट की उपरी सामने की बांयी जेब में श्री बृजमोहन सिंह हैड कानि से रखवाये गये। परिवादी को हिदायत दी गई कि वह श्री लालचन्द गिरदावर द्वारा रिश्वत की मांग करने पर उक्त पाउडर युक्त नोट उसे देवे, उससे हाथ नहीं मिलावें, लेनदेन से पूर्व रिश्वती राशि को नहीं छुए, आरोपी रिश्वती राशि प्राप्त करके कहां रखता है उसका ध्यान रखे एवं रिश्वती राशि के लेन—देन के बाद किसी बहाने से ट्रेप पार्टी सदस्यों को देखते हुवे अपने सिर पर दोनों हाथों को फेर कर ईशारा करे, यदि ईशारा करना सम्भव न हो तो अपने मोबाईल से मुझ पुलिस निरीक्षक के मोबाईलनं. 9414500599 पर मिस्ड कॉल/कॉल करके इशारा करे। तत्पश्चात एक साफ कांच के गिलास में साफ पानी मंगवाकर गिलास में सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार किया गया जो रंगहीन रहा। उक्त रंगहीन घोल के गिलास में श्री बृजमोहन सिंह हैड कानि के हाथों की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाई गई तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार परिवादी व गवाहान को दृष्टांत कार्यवाही करके दिखाई गई एवं सोड़ियम कार्बोनेट एवं फिनोल्फ्थलीन पाउड़र की आपसी

रसायनिक प्रतिकिया एवं उसका महत्व भी गवाहान व परिवादी को समझाया गया। जिस अखबार के कागज पर रखकर उक्त नोटों पर फिनोल्फ्थलीन पाउडर लगाया गया था उसे जलाकर नष्ट करवाया गया। उक्त रसायनिक घोल को बाहर फिंकवाया जाकर उक्त गिलास को साफ पानी व साबुन से धोकर कार्यालय में ही रख दिया गया। श्री बृजमोहनसिंह हैड कानि के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। फिनोल्फ्थलीन पाउड़र की शीशी श्री बृजमोहन सिंह हैडकानि से वापिस मालखाना में रखवायी गई। मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देश पर दोनों गवाहान, परिवादी एवं ट्रेपपार्टी में शामिल समस्त स्टाफ ने अपने–अपने हाथ साफ पानी एवं साबुन से धोये। परिवादी को उसका मोबाइल साथ रखने की अनुमति दी गई। उक्त कार्यवाही की विस्तृत फर्द पेशकसी एवं सुपुर्दगी नोट पृथक से मुर्तिब कर शामिल कार्यवाही कागजात की गई।

वक्त 01.00 पीएम पर परिवादी शिवनाथ ने अपने गोपनीय सूत्र से सम्पर्क कर बताया कि श्री लालचन्द गिरदावर आज दोपहर बाद रिश्तेदारी में शादी होने के कारण शादी में जायेगे। इसलिए वह आज अपने कार्यालय में नहीं मिलने के कारण आज कार्यवाही नहीं हो पायेगी। जिस पर परिवादी के पहने हुए शर्ट की उपरी बायी जेब में रखी रिश्वती राशि श्री बृजमोहन सिंह मुख्य आरक्षक से गवाहान के समक्ष निकलवाकर एक लिफाफे में रखवाकर कर सुरक्षित मालखाने में रखवाई तथा डिजिटल वाईस रिकार्डर को परिवादी से पुन प्राप्त कर सुरक्षित रखा। परिवादी ने बताया की कल सुबह मै श्री लालचन्द गिरदावर जी के बारे में जानकारी कर आपको मोबाईल से बता दूंगा, आप टीम सहित मेरे पास लुणकरणसर आ जाना। जिस पर परिवादी को आवश्यक हिदायत कर रूखस्त किया तथा दोनो गवाहान को भी आवश्यक हिदायत पूर्ण रूपसे गोपनीयता रखने की समझाईस कर रूखस्त किये।

दिनांक 13.06.2023 वक्त 07.30 ए.एम. पर परिवादी ने जरिये दूरभाष बताया कि आज गिरदावरजी करीब 9–10 बजे तक अपने कार्यालय में आयेगें। इसलिए आप लुणकरणसर 9--10 बजे तक पहुच जाओं। पाबंद शुदा दोनो स्वतंत्र गवाह श्री मुकेश भोजक व श्री सुभाष कुमार उपस्थित आये व ब्यूरो स्टाफ हाजिर है व प्राईवेट वाहन मय चालक भी तलबशुदा उपस्थित आया। वक्त 8.30 ए.एम. पर श्री बृजमोहन सिह मुख्य आरक्षक नम्बर 23 से मालखाना से परिवादी द्वारा रिश्वत के रूप में दी जाने वाली राशि 3000 रू रिश्वती राशि लिफाफे मे रखी हुई को रूबरू गवाहान के मालखाना से निकलवाकर प्राईवेट वाहन के डेसबोर्ड में रखवा कर मन पुलिस निरीक्षक मय दोनो स्वतंत्र गवाहा श्री मुकेश भोजक, श्री सुभाष कुमार व ब्यूरो स्टाफ श्री राजेश कुमार मुख्य आरक्षक नम्बर 76, श्री योगेन्द्र सिंह कानि, श्री जमील अहमद कानि मय लैपटॉप प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स, कार्यवाही में पूर्व से प्रयुक्त डिजिटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड व आवश्यक ट्रेप सामग्री के जरिये प्राईवेट वाहन चालक के ट्रेप कार्यवाही हेतु लुनकरणसर के लिए रवाना हुआ।

वक्त 09.00 एएम पर परिवादी ने जरिये दुरभाष बताया कि अभी तक गिरदावरी जी अपने कार्यालय में नहीं आये है जिस पर मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान के ग्राम खारा के पास पहुच सुरक्षित स्थान पर मुकीम होकर परिवादी के फोन का इंतजार करने में व्यस्त हुआ। वक्त 11.50 एएम पर पर परिवादी ने जरिये दूरभाष बताया कि मैने अभी गिरदावर भवन में जाकर लालजी गिरदावर के बारे में जानकारी की तो ज्ञात हुआ की गिरदावरजी गावं नाथवाना में सीमाज्ञान हेतु गये है थोडी देर बाद अपने कार्यालय में आ रहे है। जिस पर परिवादी को आवश्यक हिदायत कर मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान के जरिये प्राईवट वाहन एवं चालक के खारा गांव से रवाना लुणकरणसर के लिए रवाना होकर कस्बा लुणकरणसर से पहले अमन होटल के पास पहुचा। जहां परिवादी अपनी मोटर साईकिल पर सवार होकर उपस्थित आया। परिवादी ने बताया कि अभी तक लालजी गिरदावर अपने कार्यालय में आये नही है। जैसे ही गिरदावर जी में आयेगे मैं आपको सूचित कर दूंगा। जिस पर मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान व परिवादी के सुरक्षित स्थान पर मुकीम हुआ।

वक्त 06.55 पीएम पर परिवादी ने गिरदावर के बारे में जानकारी कर बताया कि श्री लाल जी गिरदावर अपने कार्यालय पर आ गये है। जिस पर प्राईवेट वाहन के डेस्बोर्ड में से रिश्वती राशि 3000 रू रखी हुई है को गवाह श्री मुकेश भोजक से निकलवा कर फर्द पेश कशी में अंकित नम्बरों से रिश्वती राशि का मिलान कर गवाह श्री मुकेश भोजक से परिवादी के पहनी हुई शर्ट की सामने की उपर की जेब में रखवाई। तत्पश्चात गवाह श्री मुकेश भोजक के हाथ साफ साबुन पानी से अच्छी तरह धुलवाये गये तथा परिवादी को आवश्यक हिदायत कर डिजिटल वाईस रिकार्ड मय मैमोरी कार्ड चालुकर सुपुर्द कर आरोपी से सम्पर्क करने हेतु पटवार भवन की तरफ वक्त 07:03 पी.एम रवाना किया व मन पुलिस निरीक्षक मय

हमराहियान के परिवादी के पीछे पीछे जरिये प्राईवेट के रवाना होकर तहसील कार्यालय लुणकरणसर के पास पहुचा। परिवादी गिरदावर कार्यालय की तरफ चला गया मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान के परिवादी के गोपनीय ईशारे के इंतजार में पटवार भवन के आस पास मुकीम हुए।

वक्त 07.24 पीएम. पर परिवादी श्री शिवनाथ पुत्र श्री कुनणनाथ निवासी वार्ड नम्बर 11, जोगिया बस्ती, लुणकरणसर जिला बीकानेर ने पटवार भवन नम्बर 1, लुणकरणसर के गेट के बाहर खड़े होकर रिश्वती लेन–देन का पूर्व से निर्धारित ईशारा अपने सिर पर दोनो हाथ फेरकर किया। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक, दोनो स्वतंत्र गवाहान, ब्यूरो स्टाफ श्री राजेश कुमार हैड कानि. 76, श्री जमील अहमद कानि. 147, श्री योगेन्द्रसिंह कानि. 482 के मय प्राईवेट वाहन के पटवार भवन नम्बर 1 के सामने खडे परिवादी के पास पहुंचे तथा परिवादी से डिजीटल वाईस रिकॉर्डर प्राप्त कर बन्द कर अपने पास रखा। परिवादी ने पटवार भवन के सामने खडी अल्टो कार जिसमें बैठने के लिए एक व्यक्ति हाथ मे थेला लेकर जा रहा था की तरफ ईशारा कर बताया कि यही गिरदावरजी लालजी है जिन्होने अभी मेरे खेत की पैमाईस करने की एवज में 3000 रू रिश्वती राशि लेकर अपने पहने हुए कुर्ते की सामने की उपरी जेब में रखे है। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने उक्त व्यक्ति को रोककर अपना, दोनो गवाहान व ब्यूरो स्टाफ का परिचय देते हुए उक्त व्यक्ति का परिचय पूछा तो वह ईधर उधर देखने लगा और कुछ नहीं बोला तथा कुछ देर बाद उसने अपना नाम लालूराम पुत्र श्री रेवन्तराम गोदारा जाति जाट उम्र 38 साल निवासी डान्डूसर पुलिस थाना जामसर जिला बीकानेर हाल पटवारी पटवार हल्का बींजरवाली तहसील लूणकरणसर हाल अति.चार्ज भू अभिलेख निरीक्षक वृत लूणकरणसर जिला बीकानेर होना बताया। श्री लालूराम ने पूछने पर बताया कि मुझे सभी लालजी के नाम से जानते है। आरोपी लालूराम उर्फ लालजी को परिवादी शिवनाथ से रिश्वती राशि लेने बाबत पुछा तो आरोपी ने बताया कि इन्होने मुझे पैसे दिये है पता नही किस बात के दिये है पैसे मेरे पहने कुर्ते की उपरी जेब में है। तब पास में ही खडे परिवादी ने स्वत ही बताया कि अभी गिरदावर जी ने मेरे खेत की पैमाईस करने के बदले में 3000 रू रिश्वत के रूप में लिये है। श्री मनफुलराम पटवारी से भी मेरी अभी बात हुई थी जिन्होने सीमा ज्ञान परसो करने का कहा था। श्री मनफुलराम पटवारी अभी अभी यहीं थे जो यहां से चले गये है। पटवार भवन के पास ही बने होटल पर दो तीन व्यक्ति खडे थे। जिनका नाम पता पूछना चाहा तो एक एक करके बिना कुछ बताये चले गये। पटवार भवन नम्बर 1 जो खुला था की चाबी आरोपी ने अपने पास होना बताने पर उक्त भवन के ताला लगाकर चाबी साथ में लेकर पटवार भवन मे ट्रेप कार्यवाही हेतु उचित व्यवस्था नही होने के कारण अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु आरोपी को प्राईवेट वाहन मे बैठाकर मय दोनो गवाहान व ब्यूरो स्टाफ मय परिवादी के पुलिस थाना लूणकरणसर के लिए रवाना होकर पुलिस थाना लूणकरणसर पहुचा तथा श्री चन्द्रजीत सिंह उप निरीक्षक पुलिस से अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु पुलिस थाने में एक कमरा खुलवाकर अग्रिम कार्यवाही शुरू की। आरोपी लालूराम उर्फ लालजी पटवारी से परिवादी श्री शिवनाथ से रिश्वती राशि किस बात की ली है के बारे में पुन स्पष्टीकरण पूछा तो आरोपी ने बताया कि इनके खेत की पैमाईस करने के लिए पैसे लिये है जो मेरी जेब में है। जिस पर पास ही खडे परिवादी ने स्वतः ही बताया कि मेरे खेत की पैमाईस करने के आदेश करीब डेड माह पूर्व श्रीमान तहसीलदार लुणकरणसर ने पटवारी हल्का रिपोर्ट करे के आदेश किये थे किन्तु इन्होने मेरे खेत की पैमाईस नहीं की जिस पर दिनांक 05.06.2023 मै लालूराम उर्फ लालजी से पटवार कार्यालय नम्बर 1 लूणकरसर में मिला तो इन्होने जोहडी की भूमि की पैमाईस करने के 5000 रू व मेरे खेत की पैमाईस करने के लिए 6000 रू कुल 11000 रू की मांग की तथा इन्होने कहा की एक ही दिन में पैमाईस नही हुई तो आपके खेत की पैमाईस के 8000 रू और जोहडी भूमि के 5000 रू कुल 13000 रू लगेगे। जिस पर मैने उसी वक्त 3000 रू रिश्वती राशि मांग सत्यापन के दौरान लालजी गिरदावर जी को दे दिये। दिनांक 09.06.2023 को गिरदावर श्री लालूराम उर्फ लालजी व मनफुलराम पटवारी हल्का उच्छरंगदेसर ने जोहडी भूमि की पैमाईश की थी परन्तु मेरे खेत की पेमाईश नहीं की। आरोपी लालूराम उर्फ लालजी से परिवादी के कार्य के संबंध में पूछने पर आरोपी ने बताया कि शिवनाथ को मै जानता हूं जो मेरे से दिनांक 5.6.2023 को मिला था। सरपंच ग्राम पंचायत लूणकरणसर के प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार लूणकरणसर के आदेश से मै व श्री मनफुलराम पटवारी पटवार मण्डल उच्छरंगदेसर ने दिनांक 09.06.2023 को जोहडी की भूमि की पैमाईस करके आये थे। श्री शिवनाथ की पैमाईस के लिए यह रूपये मैने लिये है, फिर कहा यह कार्य संबंधित पटवारी का है, शिवनाथ की भूमि की पैमाईस करने का कोई आदेश मेरे पास नही था इसलिए

शिवनाथ की जमीन का सीमाज्ञान मैंने नहीं किया। श्री शिवनाथ की भूमि की पैमाईश व जोहडी की पैमाईश से सम्बन्धित कोई कागजात मेरे पास नहीं है, पटवारी मनफुलराम के पास है। तत्पश्चात रिश्वती राशि लेन देन की ताईद होने पर ट्रेप बॉक्स मंगवाकर ट्रेप बॉक्स में से दो नये साफ कांच के गिलास साफ साबुन पानी से धुलवाकर सोडियम कार्बोनेट पाउडर का घोल तैयार करवाया गया जो सभी हाजरीन ने देखकर रंगहीन होने की ताईद की। रंगहीन घोल के एक गिलास में आरोपी लालूराम के बांये हाथ की अंगुलियां व अंगूठे को डुबोकर धोवन लिया गया तो धोवन का रंग मटमेला प्राप्त हुआ जिसे दो साफ कांच की शिशियों में आधा आधा भरकर सीलचिट कर मार्क एलएच 1, एलएच 2 अंकित किये जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। रंगहीन घोल के दूसरे गिलास में आरोपी लालूराम के दाहिने हाथ की अंगुलियां व अंगूठे को डुबोकर धोवन लिया गया तो धोवन का रंग मटमैला प्राप्त हुआ जिसे दो साफ कांच की शिशियों में आधा आधा भरकर सीलचिट कर मार्क आरएच 1, आरएच 2 अंकित किये जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात आरोपी को रिश्वती राशि पेश करने का कहने पर आरोपी ने अपने पहने हुए कुर्ते की उपरी सामने की बायी जेब में से 500–500 रू के नोट की थेई निकालकर पेश की जो गवाह श्री मुकेश भोजक को दिलवाये गये। गवाह श्री मुकेश भोजक ने उक्त नोटो को गिनकर पांच–पांच सौ के 6 नोट कुल तीन हजार रूपये होना बताया। दोनो गवाहान ने बरामद नोटो के नम्बरो का मिलना पूर्व में तैयार की गई फर्द पेशकशी, सुपूर्दगी नोट व दृष्टांत कार्यवाही दिनांक 12.06.2023 में अंकित नोटो के नम्बरो से मिलान किया तो फर्द पेशकशी के अनुसार ही नोटो के नम्बर पाये गये। बरामद शुदा नोटो को बतौर वजह सबूत कब्जा में लेकर एक सफेद कपड़े की सहायता से सीलचीट कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया। आरोपी लालूराम ने पूछने पर बताया कि मेरे पहने हुए कुर्ते की बांयी साईड की जेब मे पर्स व मोबाईल है। इसके अलावा मेरे पास अन्य कोई सामान नहीं है। श्री लालूराम से पर्स व मोबाईल निकलवाकर टेबिल पर रखवाया गया। श्री लालूराम के पहने के लिए एक शर्ट की व्यवस्था करवाकर वरवक्त पहना हुआ कुर्ता खुलवाकर दुसरा शर्ट लालूराम को पहनाया। एक कॉंच के साफ गिलास में साफ पानी भरवाया गया जिसमें सोडियम कार्बोनेट डालकर घोल तैयार किया गया जो रंगहीन रहा। उक्त रंगहीन घोल में आरोपी के पहने हुए कुर्ते की सामने की उपरी बायी जेब जिसमें से रिश्वती राशि बरामद हुई को गिलास के रंगहीन घोल में डूबोकर धोवन लिया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे दो साफ कांच की शिशियों में आधा आधा भरकर सीलचिट कर मार्क पी 1 व पी 2 अंकित किये जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। आरोपी लालूराम का कुर्ता जिसके सामने की उपरी बांयी जेब से रिश्वती राशि बरामद हुई थी, उक्त कुर्ते की जेब को सुखाकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर एक सफेद कपडै की थैली में डालकर विवरण अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। आरोपी लालूराम के पास एक बैग है जिसको चैक किया गया तो उसमें सरकारी रिकॉर्ड है परन्तु परिवादी के खेत की पैमाईश व जोहडी की पैमाईश से सम्बन्धित कोई दस्तावेज नहीं मिले। उक्त सरकारी कागाजात में एक सफेद कागज पर फर्द मौका अंकित है तथा नीचे शंकरराम, पुनमराम, हेतराम, पुनमचन्द के हस्ताक्षर करवाये हुए है परन्तु मौका रिपोर्ट हेतु जगह खाली है जो दस्तावेज संदिग्ध है। उक्त संदिग्ध कागज पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जे में लिया गया। उक्त बैग मय कागजात सरकारी है जो आईन्दा कार्यालय के किसी संबंधित कर्मचारी को लौटाये जायेगे। अब तक के घटना क्रम से आरोपी लालूराम उर्फ लालजी पुत्र श्री रेवन्तराम गोदारा जाति जाट उम्र 38 साल निवासी डान्डूसर पुलिस थाना जामसर जिला बीकानेर हाल पटवारी पटवार हल्का बीजरवाली तहसील लूणकरणसर हाल अति.चार्ज भू अभिलेख निरीक्षक वृत लूणकरण जिला बीकानेर द्वारा परिवादी श्री शिवनाथ से सरकारी जोहडी की भूमि व परिवादी की स्वयं की भूमि की पैमाइस(सीमाज्ञान) करने की एवज में दिनांक 05.06.2023 को रिश्वती राशि मांग सत्यापन के दौरान 3000 रू प्राप्त करना व वरवक्त ट्रेप कार्यवाही आरोपी द्वारा परिवादी से 3,000/– रूपये रिश्वत राशि प्राप्त की जिससे अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) का घटित होना पाया जाता है। अतः आरोपी लालूराम उर्फ लालजी को जरिये फर्द पृथक से गिरफ्तार किया जा रहा है। कार्यवाही में प्रयुक्त की गई पीतल की सील नम्बर 29 का नमूना फर्द पर अंकित किया। कार्यवाही के दौरान घटना स्थल के आस–पास श्री मनफूल पटवारी की तलाश की गई किन्तु वह नहीं मिला। श्री मनफूल राम पटवारी के मोबाईल नम्बर 9950470137 पर सम्पर्क कर बुलाना चाहा किन्तु मोबाईल स्वीच ऑफ आ रहा था। आरोपी ने पूछने पर बताया कि मैं, मेरी माता व मेरा भाई संयुक्त परिवार में गांव डान्डूसर में एक ही

मकान में संयुक्त रूप से रहते है। आरोपी संयुक्त परिवार में रहता है इसलिए आरोपी के निवास स्थान की खाना तलाशी नहीं ली गई।फर्द नमूना सील नम्बर 29 तैयार कर शामिल कागजात की गई। इसी दौरान हस्बतलबिदा श्री मंगतुराम मुख्य आरक्षक नम्बर 71 सरकारी वाहन टेवरा आरजे 14 यूसी 8794 मय श्री महेशसिंह कानि चालक के उपस्थित आये।

वक्त 10.15 पीएम पर परिवादी श्री शिवनाथ व आरोपी लालूराम उर्फ लालजी के मध्य वक्त रिश्वत लेन देन हुई वार्ता को परिवादी द्वारा डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकॉर्ड किया गया था। वार्ता की उक्त डिजिटल वाईस रिकार्डर को लैपटॉप से कनेक्ट कर परिवादी व दोनो स्वतंत्र गवाहान के रूबरू सुन सुन कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट वक्त रिश्वत लेनदेन तैयार की गई। वक्त रिश्वत लेन देन वार्ता के दो पेन ड्राईव तैयार किये गये। जिसमे से एक पेन ड्राईव को एक कपडे की थैली मे डालकर सिलचिट किया गया। एक पेन ड्राईव को अनुसधांन हेतु खुला रखा गया। डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में स्थापित मैमोरी कार्ड में रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता व वक्त लेनदेन वार्ता की ऑडियो फाईल सेव है को डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर से निकालकर उसके सेफ्टी कवर में डालकर एक सफैद कपडे की थैली में डालकर सीलचीट कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात श्री लालूराम उर्फ श्री लालजी को जुर्म से आगाह कर गिरफ्तार किया गया। पीतल की सील नम्बर 29 को तोडकर अनुपयोगी की गई जिसकी विस्तृत फर्द नष्टीकरण पीतल सील नम्बर 29 तैयार कर शामिल कागजात की गई। कार्यवाही में जप्तमाल वजह सबूत श्री जमील अहमद कानि को सुपुर्द कर मन् पुलिस निरीक्षक, दोनों स्वतन्त्र गवाहान, श्री राजेश कुमार मुख्य आरक्षक 76, श्री योगेन्द्रसिंह कानि 482, मुलजिम लालूराम के पुलिस थाना लूणकरणसर से पटवार भवन नम्बर 01 जो मुलजिम लालूसिंह का कार्यालय कक्ष है की खाना तलाशी लेने के लिए जरिये प्राईवेट वाहन रवाना पटवार भवन नम्बर 01 लूणकरणसर के लिए होकर मन् पुलिस निरीक्षक पटवार भवन नम्बर 01 लूणकरणसर आरसीपी कॉलोनी पर पहुंचा। पटवार भवन नम्बर 01 लूणकरणसर का ताला चाबी से खुलवाकर सभी को साथ लेकर पटवार भवन में प्रवेश हुआ तथा वक्त 2 ए.एम पर नियमानुसार तलाशी ली गई। खाना तलाशी के दौरान किसी प्रकार की आपतिजनक राशि व दस्तावेज वगेरा नहीं पाये गये। पटवार भवन नम्बर 01 का गेट बंद कर ताला लगवाया गया। मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान के पटवार भवन से रवाना होकर पुलिस थाना लुणकरसर पहुचा।मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान, परिवादी श्री शिवनाथ, गिरफ्तार शुदा आरोपी मय प्रकरण से संबंधित मालवजह सबुत, ट्रेप बॉक्स वगैरा के जरिये प्राईवेट वाहन मय चालक के पुलिस थाना लुणकरणसर से पटवार भवन नम्बर 1 आर.सी.पी. कॉलोनी लुणकरणसर की तरफ नक्शा मौका बनाने हेतु रवाना शुदा पटवार भवन नम्बर 1 के पास पहुचा। घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार कर शामिल रंनिग नोट किया। परिवादी को आवश्यक हिदायत कर रूखस्त किया। तत्पश्चात मन पुलिस निरीक्षक हमराहियान दोनों स्वतंत्र गवाहान, ब्यूरो स्टाफ, गिरफ्तार शुदा आरोपी लालूराम मय प्रकरण के मालवजह सबूत शिल्ड शुदा रिश्वती राशि 3000रू, आरोपी के दोनो हाथों, कुर्ते के धोवन की सिल्ड शुदा 6 शिशिया, आरोपी के पहने हुए शर्ट का पैकेट, रिश्वती राशि वक्त लेन देन हुई वार्ता आरोपी व परिवादी के मध्य तथा मनफूल राम के मध्य वक्त लेन देन हुई वार्ता का शिल्ड शुदा पेन ड्राईव, एक खुला पेन ड्राईव, शिल्ड शुदा मैमोरी कार्ड वगैरा, लैपटॉप, प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स, डिजिटल वाईस रिकार्डर इत्यादी साथ लेकर जरिये प्राईवेट वाहन व सरकारी वाहन मय चालक के लुणकरणसर से बीकानेर के लिए रवाना शुदा कार्यालय हाजा पहुचा। प्रकरण से संबंधित माल वजह सबूत मालखाना प्रभारी श्री बृज मोहन सिंह मुख्य आरक्षक को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाये गये। दोनो गवाहान को बाद हिदायत रूखस्त किये गये। आरोपी लालूराम की निगरानी हेतु श्री कृष्ण मोहन कानि की डयूटी मामूर की गई। आरोपी लालूराम का स्वास्थ्य परीक्षण करवाया गया।

इस प्रकार उपरोक्त घटनाक्रम से पाया गया कि आरोपी लालूराम उर्फ लालजी पुत्र श्री रेवन्तराम गोदारा जाति जाट उम्र 38 साल निवासी डान्डूसर पुलिस थाना जामसर जिला बीकानेर हाल पटवारी पटवार हल्का बीजरवाली तहसील लूणकरणसर हाल अति.चार्ज भू अभिलेख निरीक्षक वृत लूणकरण जिला बीकानेर द्वारा परिवादी श्री शिवनाथ से सरकारी जोहडी की भूमि व परिवादी की स्वयं की भूमि की पैमाइस(सीमाज्ञान) करने की एवज में दिनांक 05.06.2023 को रिश्वती राशि मांग सत्यापन के दौरान 3000 रू प्राप्त करना व वरवक्त ट्रेप कार्यवाही आरोपी द्वारा परिवादी से 3,000/– रूपये रिश्वत राशि प्राप्त की जिससे अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) व 120बी भादस का घटित होना पाया जाता है। फर्द रिश्वती राशि मांग सत्यापन में परिवादी श्री शिवनाथ व

आरोपी श्री लालूराम उर्फ लालजी के मध्य वार्ता के दौरान श्री मनफूल राम पटवारी पटवार हल्का उच्छरंगदेसर की भी वार्ता रिकार्ड हुई है जिसमें पटवारी श्री मनफूल राम द्वारा दोनो के बीच रिश्वत लेने देन में पूर्ण मध्यस्तता करता स्पष्ट सुनाई दे रहा है। ट्रेप कार्यवाही के दौरान आरोपी लालूराम द्वारा भी परिवादी श्री शिवनाथ की निजी भूमि व जोहड पायतन की भूमि का सीमाज्ञान हेतु संबंधित पटवारी का कार्य होना बताया है। चुकी परिवादी श्री शिवनाथ की भूमि व जोहड पायतन की भूमि का सीमाज्ञान श्री लालूराम उर्फ लालजी पटवारी अतिरिक्त चार्ज भू अभिलेख निरीक्षक व संबंधित पटवारी श्री मनफूलराम द्वारा किया जाना था व दोनो ही उक्त भूमि की पैमाईस करने हेतु रिश्वत मांग सत्यापन में स्पष्ट वार्ता कर रहे है व परिवादी से भूमि के सीमाज्ञान करने की एवज में रिश्वत राशि की स्पष्ट मांग करना पाया गया है। रिश्वत मांग सत्यापन में पटवारी श्री मनफूल राम द्वारा अपने स्वयं के लिए रिश्वत राशि की मांग नहीं कर अपने वरिष्ठ साथी श्री लालूराम पटवारी अतिरिक्त चार्ज भू अभिलेख निरीक्षक लुणकरणसर को परिवादी की भूमि व जोहड पायतन की भूमि की पैमाईस करने के बदले रिश्वत राशि परिवादी से दिलाने की वार्ता स्पष्ट रिकार्ड हुई है। इस प्रकार मनफूल राम पुत्र श्री आईदान राम उम्र 39 वर्ष पैशा नौकरी निवासी छटासर तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर हाल पटवारी उच्छरंगदेसर तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर का भी रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान अपराध का दुस्प्रेरण करना पाया गया है जो अपराध धारा 7,7ए, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) व 120बी भादस की परिधि में आता है।

अतः श्री लालूराम उर्फ लालजी पुत्र श्री रेवन्तराम गोदारा जाति जाट उम्र 38 साल निवासी डान्डूसर पुलिस थाना जामसर जिला बीकानेर हाल पटवारी पटवार हल्का बीजरवाली तहसील लूणकरणसर हाल अति.चार्ज भू अभिलेख निरीक्षक वृत लूणकरणसर जिला बीकानेर व श्री मनफूल राम पुत्र श्री आईदान राम उम्र 39 वर्ष पैशा नौकरी निवासी छटासर तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर हाल पटवारी उच्छरंगदेसर तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर के विरूद्ध जुर्म धारा 7,7 ए, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 120बी भादस में अभियोग पंजीबद्ध करने हेतु बिना नंबरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राज0 जयपुर की सेवामें प्रेषित है।

भवदीय,

पुलिस निरीक्षक
पुलिस निरीक्षक (एस.यू.)
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
स्पेशल युनिट बीकानेर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री गुरमेल सिंह, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू. बीकानेर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपीगण 1. श्री लालचन्द (श्री लालूराम उर्फ लालजी), गिरदावर/ पटवारी, पटवार हल्का बींजरवाली, तहसील लूणकरणसर हाल अतिरिक्त चार्ज भू-अभिलेख निरीक्षक, वृत लूणकरणसर जिला बीकानेर एवं 2. श्री मनफूल राम पटवारी, पटवारी हल्का उच्छरंगदेसर, तहसील लूणकरणसर, जिला बीकानेर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 154/2023 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

15.6.23
(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांकः- 1163-66 दिनांक 15.06.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, बीकानेर।
2. जिला कलक्टर, बीकानेर।
3. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू. बीकानेर।

15.6.23
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।